वन उत्पादकता संस्थान,रांची

भारतीय संविधान के 70वें वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय संविधान जागरूकता अभियान दिनांक : 30.01.2020

भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार, संस्थान के निदेशक के निर्देशन में दिनांक 30.01.2020 को वरिष्ठ वैज्ञानिक, डा.शरद तिवारी की अध्यक्षता में भारतीय संविधान जागरूकता अभियान के तहत "संविधान नागरिकों के कर्तव्य" विषय पर संस्थान के सभागार में एक व्याख्यान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया|

इस प्रतियोगिता में संस्थान के कर्मचारीगण एवं अनुसंधान कर्ताओं ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया | कार्यक्रम का संचालन संस्थान के मुख्य तकनीकी अधिकारी, श्री रवि शंकर प्रसाद ने किया | इस प्रतियोगिता में श्री प्रदीप कुमार गुप्ता ने अधिकार एवं कर्तव्य की विवेचना करते हुए संविधान को एक धर्मग्रंथ वताया | श्री कनहाई लाल डे ने संविधान के मुख्य प्रकाशक डा.भीम राव अम्वेद्कर के बारे में बताते हुए कहा कि अधिकार को सभी जानते हैं परन्तु लोग अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं करते, इन्होंने कहा कि राष्ट्र की सम्पति को बचाना हम सभी का कर्तव्य है |

सुश्री मिनाक्षी कुमारी ने लिखित एवं अलिखित संविधान की चर्चा की एवं बताया कि संविधान के अनुसार ही कार्य होना देशहीत में है| श्री सतीश कुमार ने प्रस्तावना की चर्चा की और वताया कि हम अपने अधिकार पर खुद निर्भर करते हैं, परन्तु अधिकार के साथ-साथ कर्तव्य का भी पालन करें | श्री दिनेश प्रसाद ने भारतीय संविधान के जागरूकता अभियान को चलाने की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए देश,बड़ों तथा नारियों के सम्मान की वकालत की | स्वर्ण सिंह द्वारा अनुसंशा का 42वां संशोधन की चर्चा करते हुये

कर्तव्य के सभी मौलिक कर्तव्यों को विस्तृत से प्रस्तुत किया | साथ ही साथ पौध रोपण के लिए भी प्रेरित किया |

संस्थान के मुख्य तकनीकी अधिकारी श्री रवि शंकर प्रसाद ने वर्णित कुल 11 कर्तव्यों को विस्तृत रूप से बताया एवं पालन करने का अनुरोध किया| विस्तार प्रभाग के श्री बी. डी. पंडित ने कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने के वजह की चर्चा की एवं वन पर्यावरण, जीव– जंतु एवम प्राकृतिक संसाधनों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आग्रह करते हुए नारी सम्मान एवं मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने के कारणों का वर्णन किया | संस्थान के श्री आशुतोष कुमार पाण्डेय ने भावी पीढ़ी के लिए अनुकरणीय कार्य करने का आग्रह किया |

कार्यक्रम समापन पर अध्यक्षीय संबोधन में डा. शरद तिवारी ने प्रतिभागियों को बधाई दी एवं प्रतिभागियों द्वारा संविधान के बारे में रोचक प्रस्तुति की सराहना की| इन्होंने वताया कि समाज को उसूलों का निर्वहन करना होता है और इसी सिलसिले में देश की संप्रभुता तथा विकास के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करना चाहिए | इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्थान के विस्तार प्रभाग के मुख्य तकनीकी अधिकारी, श्री एस. एन. वैद्य, श्री निसार आलम एवं श्री बी. डी. पंडित, तकनीकी अधिकारी ने अपना योगदान दिया |

भारतीय संविधान जागरुकता अभियान

भारतीय संविधान जागरुकता अभियान

भारतीय संविधान जागरुकता अभियान

भारतीय संविधान जागरुकता अभियान

भारतीय संविधान जागरुकता अभियान

भारतीय संविधान जागरुकता अभियान